भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †706

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रमुख पर्यटक स्थलों का उन्नयन

†706. श्री जगदम्बिका पालः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों का नई प्रौद्योगिकी के साथ उन्नयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पर्यटक स्थलों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2018 और 2022 के दौरान देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए आने वाले घरेलू और विदेशी सैलानियों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रमुख पर्यटक स्थलों, विशेषकर यूनेस्को के विरासत स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) : जी, हां । स्वदेश दर्शन 2.0, प्रशाद और पर्यटन अवसरंचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता नामक योजनाओं के तहत स्वीकार्य घटकों की निदर्शी सूची अनुबंध-I में दी गई है ।

(ग) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करने और पर्यटक गंतव्यों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

i. देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना
ii. चिह्नित तीर्थस्थलों के एकीकृत विकास हेतु राष्ट्रीय तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) संबंधी राष्ट्रीय मिशन योजना

iii. विरासत स्थलों/स्मारकों और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए एक विरासत को अपनाएं परियोजना

iv. 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन

v. 156 देशों के नागरिकों के लिए 5 उपश्रेणियों यथा ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा तथा ई-सम्मेलन वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना ।

vi. ई-वीज़ा का और अधिक उदारीकरण किया गया है और वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय कटौती की गई है ।

vii. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण और उन्नयन हेतु 'सेवाप्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन

viii. देश में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण/ट्रैकिंग हेतु नई पर्वत चोटियां खोली गई हैं ।

ix. पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए 1001 रु. से 7500 रु. प्रति रात्रि के टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% और 7501 रु. से अधिक के टैरिफ वाले कमरों पर जीएसटी को 18% कर दिया गया।

x. पर्यटन मंत्रालय की सिफारिश पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा आरसीएस उड़ान योजना के तहत चिह्नित एयर लाइनों को 59 पर्यटन रूट सौंपे गए हैं जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय ने वीजीएफ (व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । अद्यतन स्थिति के अनुसार इनमें से 51 रूटों पर प्रचालन शुरू हो गया है ।

(घ) : वर्ष 2018 से 2021 के दौरान भारत में घरेलू तथा विदेशी पर्यटक यात्राएं निम्नानुसार हैं :

वर्ष	पर्यटकों की यात्रा	
	घरेलू	विदेशी
2018	1853787719	28851130
2019	2321982663	31408666
2020	610216157	7171769
2021	677632981	1054642

वर्ष 2018 से 2021 के दौरान तथा अक्तूबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटक यात्राएं निम्नानुसार हैं :

वर्ष	पर्यटकों की यात्रा	
	घरेलू	विदेशी
2018	285079848	3780752

2019	535855162	4745181
2020	86122293	890932
2021	109708435	44737
अक्तूबर 2022 (अ) तक	171371128	232485

अ: अनंतिम

स्रोत: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग

(ड.) से (च) : पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटन सहयोग को सुदृढ़ बनाने और दूसरे देशों में भारत के पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए विभिन्न देशों के साथ करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करता है । ऐसे करारों/समझौता ज्ञापनों के महत्वपूर्ण घटकों में निम्नलिखित शामिल है :

i) पर्यटन संबंधी सूचना तथा डाटा का आदान-प्रदान
ii) होटलों तथा टूर ऑपरेटरों सहित पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग
iii) दो-तरफा पर्यटन के संवर्धन के लिए टूर ऑपरेटरों/मीडिया/ओपीनियन मेकर्स के परस्पर दौरे
iv) मानव संसाधन विकास में सहयोग हेतु विनिमय कार्यक्रम
v) पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में निवेश
vi) संवर्धन, विपणन, गंतव्य विकास तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में अनुभव का आदान-प्रदान
vii) एक-दूसरे के देश में यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता

पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग हेतु विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू/करारों/आशय पत्र (एलओआई) का विवरण अनुबंध-।। में देखा जा सकता है ।

*****

अनुबंध-।

प्रमुख पर्यटक स्थलों का उन्नयन के संबंध में दिनांक 12.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †706 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

<u>स्वदेश दर्शन योजना 2.0</u>

i. पर्यटन कोर उत्पाद

(क) एटीएम/मुद्रा विनिमय काउंटरों के साथ पर्यटक सुविधा केंद्र, पर्यटक इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण
(ख) स्मारकों/विरासत संरचनाओं का जीर्णोद्धार, संरक्षण, प्रकाश व्यवस्था
(ग) शिल्प हाटों , बाजारों, स्मारिका दुकानों, कैफेटेरिया आदि का निर्माण।
(घ) नेचर ट्रेल्स, वॉच टावर्स, रेन शेल्टर्स और संबद्ध अवसंरचना का निर्माण
(ङ) आवास और रहने की सुविधाएं जैसे लॉग हट्स, टूरिस्ट लॉज, टेंट आवास, इको-रिट्रीट आदि।

ii. पर्यटन गतिविधियां

(क) कन्वेंशन सेंटर /गोल्फ कोर्स/एक्वामरीन पार्क/मनोरंजन पार्क/थीम पार्क का निर्माण
(ख) एडवेंचर/गोल्फ/क्रूज/ग्रामीण/माइस और ऐसी अन्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं का निर्माण
(ग) उपरोक्त पर्यटन गतिविधियों के लिए उपकरणों का प्रावधान

iii. प्रदर्शन कला संबंधी अवसंरचना

(क) ओपन-एयर थिएटर या एम्फी-थिएटर का निर्माण
(ख) सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण
(ग) साउंड एंड लाइट शो की स्थापना

iv. स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा

(क) प्रसाधन कक्ष
(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
(ग) प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (भारतीय चिकित्सा प्रणाली सहित)
(घ) सीसीटीवी

v. कनेक्टिविटी, मार्गस्थ सुविधाएं और पार्किंग

(क) शौचालय, क्लोकरूम सुविधाएं और प्रतीक्षालय उपलब्ध कराकर सड़क, रेल या जल परिवहन के लिए यात्री टर्मिनलों का विकास/उन्नयन
(ख) पर्यटक परिवहन के पर्यावरण अनुकूल साधनों के लिए उपकरणों की खरीद
(ग) पर्यटक स्थलों/गंतव्यों तक जाने वाली सड़क कनेक्टिविटी (अंतिम बिंदु तक) में सुधार
(घ) चिन्हित परिपथों में पर्यटकों के लिए आवश्यक हेलीपैड, हेलीपोर्ट, हवाई पट्टी, रोपवे का विकास/उन्नयन
(ङ) दोपहिया वाहनों, कारों, बसों, कारवां वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा
(च) आपातकालीन वाहन ब्रेकडाउन, मरम्मत और ईंधन भरने की सुविधाओं के साथ मार्गस्थ सुविधाएं
(छ) सूचनात्मक / दिशात्मक साइनेज
(ज) टेलीफोन बूथों, मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से संचार में सुधार

vi. सामान्य साइट विकास

(क) सामान्य सुधार कार्य जैसे मिट्टी भरना, लैंडस्केपिंग (पेड़ों, झाड़ियों सहित), फव्वारे, बाड़ लगाना, प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ/पैदल रास्ते/रास्ते/ ड्राइव वे, बैठने की सुविधा /शेल्टर, पेयजल बिंदु, कूड़ेदान, वर्षा जल निकासी, सीवरेज / अफ्लुएंट के लिए उपचार सुविधाएं
(ख) बाहरी अवसंरचना जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, बिजली और सड़कें
(ग) नदियों, झीलों, झरनों, रिवरफ्रंट जैसे प्राकृतिक जल निकायों की तटरेखा का विकास और पुनर्निर्माण।
(घ) स्लम उन्नयन
(ङ) वाई - फाई

vii. स्थायी पर्यटन

(क) स्ट्रीट लाइटिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग
(ख) पर्यटक अवसंरचना के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत
(ग) पर्यावरण की देखभाल और स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक पहुंच
(घ) विकसित सभी संरचनाएं सार्वभौमिक रूप से सुगम (दिव्यांगों के अनुकूल) होनी चाहिए

viii. सॉफ्ट इंटरवेंशन

(क) एसेट मैपिंग
(ख) प्रचार और विपणन
(ग) क्षमता निर्माण
(घ) कौशल विकास
(ङ) ज्ञान प्रबंधन
(च) डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म

<u>प्रशाद योजना</u>

अवसंरचना का विकास

- प्रमुख गंतव्य बिंदुओं और यदि आवश्यक हो तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे शहर के प्रवेश बिंदुओं पर शौचालय, क्लॉक रूम सुविधाएं और प्रतीक्षालय ।
- सूचनात्मक /दिशात्मक साइनेज (यदि संभव हो तो इन्हें निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है)। डिजाइन की एकरूपता बनाए रखने और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए डीपीआर टूलकिट में दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।
- गंतव्य प्रवेश बिंदुओं अर्थात यात्री टर्मिनलों (सड़क, रेल और जल परिवहन) का विकास/उन्नयन । इन प्रवेश बिंदुओं पर अवसंरचना जैसे पर्यटन सूचना/ इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ एटीएम/मुद्रा विनिमय काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- स्मारकों/तीर्थ स्थलों की प्रकाश व्यवस्था ।
- आपातकालीन व्हेकल ब्रेकडाउन, मरम्मत की सुविधा और पर्यटकों के लिए कारवां वाहनों को खड़ा करने के लिए अवसंरचना के प्रावधान के साथ मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान । संबंधित गंतव्यों में पर्यटकों के दैनिक औसत आगमन के अनुसार क्षेत्र और क्षमता का आकलन किया जाएगा ।
- दोपहिया वाहनों, कारों, बसों और कारवां के लिए पार्किंग की सुविधा ।
- अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी के लिए प्रमुख गंतव्यों तक सड़क कनेक्टिविटी में सुधार
- लैंडस्केपिंग (पेड़ और झाड़ियाँ शामिल हैं), फव्वारे, बाड़ लगाना, प्रकाश व्यवस्था, फुटपाथ/पैदल रास्ते/रास्ते/ड्राइव वे, बैठने की सुविधा/शेल्टर, पेयजल बिंदु, कूड़ेदान, वर्षाजल निकासी और सीवरेज/अफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट सुविधाओं जैसे सामान्य सुधार गंतव्य तीर्थ के आसपास अनुमत हैं ।
- प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (भारतीय चिकित्सा प्रणाली सहित) ।
- टेलीफोन बूथों, मोबाइल सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से संचार में सुधार ।
- वॉच टावर का निर्माण (निगरानी और सुरक्षा के उद्देश्य के लिए), रेन शेल्टर (तीर्थयात्रियों के लिए)

- चिन्हित स्थलों के आध्यात्मिक/विरासत अनुभव को बढ़ाने के लिए ध्वनि और प्रकाश शो जैसी पर्यटन गतिविधियों के लिए उपकरण ।
- ओपन एयर थिएटर और एम्फीथिएटर का निर्माण ।
- शिल्प हाट /बाजार/स्मारिका दुकान/कैफेटेरिया का निर्माण।
- पर्यटक परिवहन हेतु पर्यावरण के अनुकूल साधनों के लिए उपकरणों की खरीद, जिन्हें वृद्ध, दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों (8 वर्ष से कम) की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमुख परिसंपत्तियों और पैदल चलने वाली सड़कों पर अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी के लिए चलाया जाना चाहिए।
- नदियों, झीलों, जलधाराओं और पवित्र/ऐतिहासिक महत्व के नदी तटों जैसे प्राकृतिक जल निकायों का तटरेखा विकास और पुनर्निमाण और इस पर पर्यटन मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जाएगा।
- कमज़ोर परिवहन कनेक्टिविटी वाले चिन्हित स्थलों में पर्यटकों के लिए हेलीपैड, रोपवे की आवश्यकता ।
- पर्यावरणीय देखभाल के लिए पर्यटक अवसंरचना हेतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग और स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक पहुंच।
- बाहरी अवसंरचना जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, बिजली और सड़कें।
- पर्यटन से सीधे संबंधित कोई अन्य गतिविधि और चिन्हित तीर्थ स्थलों/गंतव्यों के विकास या विरासत शहर के एकीकृत पर्यटन विकास के लिए आवश्यक।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केवल विरासत शहर के एकीकृत पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित अवसंरचना घटकों की अनुमति होगी:

- विरासत/सांस्कृतिक/पर्यटक क्षेत्रों के आस-पास नागरिक अवसंरचना का मूल्यांकन और उन्नयन और स्थानीय सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके आंशिक वित्त पोषण तंत्र के साथ आसपास के क्षेत्रों के अग्रभाग में सुधार।
- हेरिटेज वॉक, स्ट्रीट- स्केपिंग गतिविधियों का विकास जो भूमिगत केबलिंग, स्ट्रीट फर्नीचर, वर्षा जल निकासी और वॉकवे/पाथवे तक ही सीमित नहीं है।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और त्योहारों तथा संबंधित अवसंरचना हेतु सहायता
- संग्रहालयों, इंटरप्रिटेशन सेंटर और सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों का विकास।
- किसी ऐतिहासिक संरचना/स्मारक का जीर्णोद्धार/संरक्षण
- विरासत क्षेत्रों / परिसर का पुनरोद्धार और स्मारकों का संरक्षण आदि।
- पात्र संरचनाओं के लिए अनुकूलक पुन: उपयोग योजनाएं

क्षमता विकास, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में राज्य द्वारा पहचाने गए कौशल अंतराल को दूर करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम
- भारत सरकार की अन्य योजनाओं के सहयोग से अल्पावधिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- स्वदेशी कला और शिल्प में स्थानीय क्षमता और विशेषज्ञता के उपयोग पर बल ।
- भविष्य में उपयोग के लिए पर्यटन संबंधी ज्ञान के आधार का प्रलेखन और संरक्षण ।

ऑनलाइन उपस्थिति

क. जीआईएस आधारित इंटरैक्टिव और इंटैलिजेंट पोर्टल विकास तथा मोबाइल एप्लिकेशन, जो निम्नलिखित प्रदान करता है :

- स्थान आधारित सेवाएं
- स्थान आधारित विषय-वस्तु
- ए-कॉमर्स एप्लिकेशन के माध्यम से बुकिंग की सुविधा
- मौजूदा सेवा प्रदाताओं के अनुप्रयोगों के लिए लिंकेज
- पर्यटकों के साथ-साथ ऑपरेटरों के लिए सहयोगी डैश-बोर्ड
- विभाग के लिए निर्णय समर्थन रिपोर्टिंग

ख. परियोजना निगरानी और प्रबंधन प्रणाली

- परियोजना निगरानी और प्रबंधन प्रणाली के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड
- ऑनलाइन यूसी प्रस्तुतियों के माध्यम से परियोजना की प्रगति पर नज़र रखना
- ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से खरीद पर नज़र रखना
- उपलब्धियों की पूर्ति पर नज़र रखना
- वृद्धि और भिन्नता से संबंधित मुद्दों को ट्रैक करना।

ग. अनुमति आधारित ज्ञान पोर्टल

- विषय-वस्तु संरक्षण के लिए बैक-एंड डिजिटल लाइब्रेरी का सृजन ।
- भविष्य के संदर्भों के लिए प्रासंगिक शोध पत्र उपयुक्त संस्थानों को भेजना ।

घ. डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग

आईईसी घटक

- योजना आवंटन का 10% आईईसी घटकों के लिए निर्धारित है

पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता

क. गंतव्य के परिवेश में सुधार । इसमें लैंडस्केपिंग, पार्कों का विकास, फेंसिंग, चारदीवारी आदि जैसी गतिविधियां शामिल होंगी ।

ख. पर्यटन स्थल और आस-पास के क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था और एसईएल/ मल्टीमीडिया/बहुआयामी शो आदि जिसमें यथावश्यक प्रचार सामग्री सहित नागरिक सुविधाएं जैसे शौचालय/विश्राम कक्ष, टिकट काउंटर, फूड कोर्ट, दिव्यांग लोगों/बच्चों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए साइट पर सुविधाओं की स्थापना, प्रचार सामग्री सहित, बैटरी चालित कार्ट आदि शामिल है ।

ग. परियोजना के प्रारंभिक लॉन्च के पांच साल बाद इस योजना के तहत तकनीकी अभिनवीन शो की आवश्यकता के अनुरूप मौजूदा एसईएल/मल्टीमीडिया शो की पुनर्संकल्पना/उन्नयन पर भी विचार किया जा सकता है ।

घ. मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के कारण सार्वजनिक भवनों का निर्माण जिन्हें ध्वस्त करने की आवश्यकता है ।

ङ. स्मारकों की प्रकाश व्यवस्था/पुनर्स्थापना/नवीनीकरण ।

च. साइनेज और डिस्प्ले बोर्ड जिनमें पर्यटन क्षेत्र के नक्शे और लोकेशन पर रुचि के स्थानों संबंधी प्रलेखन दर्शाए गए हों ।

छ. पर्यटक आगमन केंद्र, स्वागत केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर

ज. क्रूज टर्मिनलों का विकास ।

झ. सम्मेलन केंद्रों का निर्माण ।

*****

अनुबंध-।।

प्रमुख पर्यटक स्थलों का उन्नयन के संबंध में दिनांक 12.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †706 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में विवरण

पर्यटन मंत्रालय द्वारा विदेशों के साथ करार/**समझौता ज्ञापन/एलओआई पर हस्ताक्षर**

क्र. **सं.**	उस देश का नाम जिसके साथ समझौता ज्ञापन/ **करार/प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं**	समझौता ज्ञापन/ करार/ एलओआई	हस्ताक्षर की तिथि	कब तक मान्य है	स्थिति
1.	इराक	प्रोटोकॉल	25.10.1986	प्रत्येक 5+5 वर्ष की अवधि	वैध
2.	पुर्तगाल	करार	29.07.1991	5+5 साल की अवधि	वैध
3.	सीरिया	करार	08.10.1991	5+5 साल की अवधि	वैध
4.	इजराइल	करार	18.05.1993	5+5 साल की अवधि	वैध
5.	सिंगापुर	करार	24.01.1994	5+5 साल की अवधि	वैध
6.	रूस	करार	30.06.1994	5+5 साल की अवधि	वैध
7.	ईरान	समझौता ज्ञापन	18.04.1995	कोई वैधता संबंधी उपधारा नहीं	वैध
8.	मेक्सिको	करार	28.03.1996	5+5 साल की अवधि	वैध
9.	साइप्रस	करार	07.11.1996	5+5 साल की अवधि	वैध
10.	यूनान	करार	13.01.1998	5+5 साल की अवधि	वैध
11.	इंडोनेशिया	समझौता ज्ञापन	08.02.2000	प्रत्येक 5+5 वर्ष की अवधि	वैध
12.	इटली	करार	26.06.2000	5+5 साल की अवधि	वैध
13.	श्रीलंका	समझौता ज्ञापन	23.01.2004	5+5 साल की अवधि	वैध
14.	ब्राज़ील	करार	25.01.2004	5+5 साल की अवधि	वैध
15.	सर्बिया	समझौता ज्ञापन	02.11.2004	किसी भी पक्ष के समाप्त होने तक मान्य	वैध
16.	आईबीएसए त्रिपक्षीय समझौता	करार	15.10.2008	5+5 साल की अवधि	वैध

17.	पोलैंड	करार	25.04.2009	5+5 साल की अवधि	वैध
18.	आसियान	समझौता ज्ञापन	12.01.2012	12.01.2022 (5+5 वर्ष की अवधि)	वैध
19.	मॉरीशस	समझौता ज्ञापन	12.03.2013	5+5 साल की अवधि	वैध
20.	जापान	ज्ञापन	22.01.2014	5+5 साल की अवधि	वैध
21.	नेपाल	समझौता ज्ञापन	25.11.2014	5+5 साल की अवधि	वैध
22.	फ्रांस	आशय पत्र	09.04.2015	कोई वैधता संबंधी उपधारा नहीं	वैध
23.	चीन	करार	15.05.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
24.	तंजानिया	समझौता ज्ञापन	19.06.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
25.	उज़्बेकिस्तान	करार	01.10.2018	5+5 साल की अवधि	वैध
26.	तुर्कमेनिस्तान	समझौता ज्ञापन	11.07.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
27.	मिस्र	समझौता ज्ञापन	24.08.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
28.	संयुक्त अरब अमीरात	समझौता ज्ञापन	03.09.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
29.	कंबोडिया	समझौता ज्ञापन	16.09.2015	5+5 साल की अवधि	वैध
30.	मालदीव	समझौता ज्ञापन	10.04.2016	5+5 साल की अवधि	वैध
31.	कतर	समझौता ज्ञापन	05.06.2016	5+5 साल की अवधि	वैध
32.	दक्षिण अफ्रीका	समझौता ज्ञापन	08.07.2016	5+5 साल की अवधि	वैध
33.	किर्गिस्तान	समझौता ज्ञापन	20.12.2016	5+5 साल की अवधि	वैध
34.	ओमान	समझौता ज्ञापन	11.02.2018	5+5 साल की अवधि	वैध
35.	बुल्गारिया	समझौता ज्ञापन	05.09.2018	5+5 साल की अवधि	वैध
36.	माल्टा	समझौता	17.09.2018	5+5 साल	वैध

		ज्ञापन			
37.	रोमानिया	समझौता ज्ञापन	19.09.2018	अनिश्चित काल	वैध
38.	कोलंबिया	समझौता ज्ञापन	04.10.2018	5+5 साल की अवधि	वैध
39.	कोरिया	समझौता ज्ञापन	05.11.2018	5+5 साल की अवधि	वैध
40.	अर्जेंटीना	समझौता ज्ञापन	18.02.2019	5+5 साल की अवधि	वैध
41.	सऊदी अरब	समझौता ज्ञापन	20.02.2019	5+1 साल	वैध
42.	क्रोएशिया	समझौता ज्ञापन	26.03.2019	5+5 साल की अवधि	वैध
43.	पराग्वे	समझौता ज्ञापन	27.09.2019	5+5 साल की अवधि	वैध
44.	फिलीपींस	समझौता ज्ञापन	18.10.2019	5+5 साल की अवधि	वैध
45.	फिनलैंड	समझौता ज्ञापन	21.11.2019	5 साल	वैध
46.	ऑस्ट्रेलिया	समझौता ज्ञापन	11.02.2022	5 साल	वैध

*****